# अनुक्रमणिका


| विवरण | संदर्भ | |
|---|---|---|
| | परिच्छेद | पृष्ठ संख्या |
| प्रस्तावना | | v |
| विहंगावलोकन | | vii |
| **अध्याय-I: परिचय** | | |
| बजट रूपरेखा | 1.1 | 1 |
| राज्य सरकार के संसाधनों की प्रयुक्तता | 1.2 | 1 |
| राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्षत: हस्तांतरित निधियां | 1.3 | 1 |
| भारत सरकार से सहायता अनुदान | 1.4 | 2 |
| लेखापरीक्षा की योजना व संचालन | 1.5 | 2 |
| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया | 1.6 | 2 |
| लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूलियां | 1.7 | 3 |
| लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की जवाबदेही में कमी | 1.8 | 3 |
| लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई | 1.9 | 4 |
| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकाशित निष्पादन लेखापरीक्षा और परिच्छेदों का वर्षवार विवरण | 1.10 | 5 |
| **अध्याय-II: निष्पादन लेखापरीक्षा** | | |
| **कृषि विभाग** | | |
| चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में शिक्षा, शोध एवं विस्तार गतिविधियां | 2.1 | 7 |
| **उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग** | | |
| निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं विनियमन | 2.2 | 31 |
| **सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग** | | |
| बाढ़ संरक्षण तथा बाढ़ नियंत्रण | 2.3 | 51 |
| **सूचना प्रौद्योगिकी विभाग** | | |
| ई-उपार्जन परियोजना पर सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा | 2.4 | 71 |
| **अध्याय-III: अनुपालना लेखापरीक्षा** | | |
| **कृषि विभाग** | | |
| मिट्टी परीक्षण गतिशील प्रयोगशालाओं की खरीद पर निरर्थक निवेश | 3.1 | 93 |

| | | |
|---|---|---|
| जैविक/पारम्परिक काली चाय की बिक्री में हानि | 3.2 | 94 |
| **कृषि और बागवानी विभाग** | | |
| कृषि फसल बीमा योजनाएं | 3.3 | 96 |
| **पशुपालन विभाग** | | |
| दवाओं/उपकरण के उपार्जन पर परिहार्य व्यय | 3.4 | 104 |
| **वन विभाग** | | |
| वन थानों की स्थापना | 3.5 | 105 |
| तदर्थ प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण को शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा न करवाना | 3.6 | 106 |
| **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** | | |
| खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन | 3.7 | 107 |
| दोषी चिकित्सा अधिकारियों के विरूद्ध बॉण्ड का गैर-प्रवर्तन | 3.8 | 115 |
| **गृह विभाग** | | |
| राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत निष्क्रिय उपकरण | 3.9 | 116 |
| क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन (सी0सी0टी0वी0) कैमरों के उपार्जन/प्रतिष्ठापन में अनियमितताएं | 3.10 | 117 |
| **उद्योग विभाग** | | |
| लाइमस्टोन निक्षेपों की खोज हेतु ड्रिलिंग पर अनुचित/निष्फल व्यय | 3.11 | 118 |
| **सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग** | | |
| ₹ 88 लाख मूल्य के पाइपों का गैर-लेखाकरण | 3.12 | 119 |
| सीवरेज स्कीम पर निष्फल व्यय | 3.13 | 120 |
| **श्रम एवं रोजगार विभाग** | | |
| कौशल विकास भत्ता योजना | 3.14 | 122 |
| **चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान विभाग** | | |
| प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना | 3.15 | 128 |
| सामान्य नर्सिंग एवं मिडवाइफरी विद्यालयों में अवसंरचना का असृजन तथा निधियों का अपवर्तन | 3.16 | 135 |
| **बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग** | | |
| जंगी थोपन तथा थोपन पोवारी जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं का क्रियान्वयन न होना | 3.17 | 136 |
| **पंचायती राज विभाग** | | |
| पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से निर्माण कार्यों की अनियमित संस्वीकृति | 3.18 | 139 |

| | | |
|---|---|---|
| **लोक निर्माण विभाग** | | |
| तारकोल का उपार्जन, उपभोग तथा लेखांकन | 3.19 | 140 |
| ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाने के लिए देय राशि की कम वसूली | 3.20 | 147 |
| सड़क तथा पुल को पूर्ण न करने के कारण निष्फल व्यय | 3.21 | 148 |
| **राजस्व विभाग** | | |
| राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का अनियमित आवंटन तथा दुरूपयोग | 3.22 | 149 |
| देय राशि की कम वसूली तथा स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से अधिक/अनुचित आवंटन | 3.23 | 150 |
| राज्यांश का कम जारी करना तथा राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम निधियों की अनियमित प्रयुक्ति | 3.24 | 152 |
| **ग्रामीण विकास विभाग** | | |
| विकास में जन सहयोग स्कीम के अन्तर्गत सड़क को पूर्ण न करना | 3.25 | 153 |
| **ग्रामीण विकास तथा शहरी विकास विभाग** | | |
| स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत शौचालयों का निर्माण | 3.26 | 155 |


**परिशिष्ट**


| परिशिष्ट संख्या | विवरण | संदर्भ | |
|---|---|---|---|
| | | परिच्छेद | पृष्ठ संख्या |
| 1.1 | 31 मार्च 2017 तक चयनित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों का वर्ष-वार विवरण | 1.8 | 163 |
| 1.2 | 31 मार्च 2017 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा परिच्छेदों में अनियमितताओं को दिखाने वाली विवरणी | 1.8 | 164 |
| 2.1 | चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय का संगठनात्मक ढ़ांचा | 2.1.2 | 165 |
| 3.1 | 2016-17 में खरीफ तथा रबी फसलों के लिए कट-ऑफ तिथियों के पश्चात बैंकों द्वारा बीमा कम्पनी को भेजे गए मामलों का विवरण | 3.3.6.4 | 166 |

# प्रस्तावना

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के आधार पर सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार के विभागों/स्वायत्त निकायों की निष्पादन लेखापरीक्षा तथा अनुपालना लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं जो वर्ष 2016-17 के दौरान किए गये नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए तथा साथ-साथ वे मामले भी हैं जो विगत वर्षों में ध्यान में आए थे लेकिन उन्हें विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था। आवश्यकतानुसार, 2016-17 से उत्तरवर्ती अवधि से सम्बंधित मामलों को भी सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप आयोजित की गयी है।